

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यव0वाद क0-15ए/2016

संस्था0दि0-25-04-2016

फाईलनं.233504000752016

1. भजनलाल पिता बापू पंवार, उम्र 80 वर्ष, पेशा से.नि. कर्मचारी एवं कृषि
2. रामकुंवरबाई बेवा रामरतन पंवार, उम्र 65 वर्ष, पेशा गृह कार्य,
3. मनोहर पिता रामरतन पंवार, उम्र 44 वर्ष, पेशा कृषि,
साकिन 1 से 3 निवासी वार्ड कं. 17,
बोडखी आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
4. महादेव पिता नत्थू पंवार साकिन बोडखी तह0 आमला जिला बैतूल
5. शिवकला पिता नत्थू पंवार पति दल्लू पंवार सा0 जिराढाना तह0 आमला
6. हरिराम पिता नेपाल जाति भोयर साकिन अंधारिया, तह0 आमला, जि0 बैतूल
7. कमल पिता नेपाल जाति भोयर साकिन अंधारिया तह0 आमला, जि0 बैतूल
8. मिट्ठू पिता खुन्नी भोयर साकिन तिरमहू तह0 आमला, जिला बैतूल
9. प्रमिला पिता खुन्नी भोयर पति गणेश साकिन तोरणवाड़ा तह0 आमला,
10. दिलीप पिता गेंदू पंवार, उम्र 75 वर्ष, पेशा कृषि, सा0 बोडखी आमला
11. सुवागा पिता गेंदू पंवार उम्र 78 वर्ष, पति बिहारी सोलंकी,
साकिन अंधारिया, तह0 आमला जिला बैतूल
12. सुगाबाई पिता गेंदू उम्र 72 वर्ष, पति रामदयाल डगरिया
साकिन हसलपुर जीराढाना, तह0 आमला जिला बैतूल

-----**वादीगण**

--:: विरुद्ध ::--

1. मुकेशकुमार खण्डेलवाल पिता स्व श्री विजयकुमार खण्डेलवाल
साकिन कोठी बाजार, बैतूल तह0 व जिला बैतूल
2. महेन्द्र कुमार मालवीय पिता कालूराम मालवीय
साकिन कोठी बाजार, बैतूल तह0 व जिला बैतूल
3. संदीप बामने पिता तिरथलाल बामने
4. रंजना बामने पति तिरथलाल बामने,
दोनों निवासी बोडखी, तह0 आमला, जिला बैतूल
5. दयाराम पिता रंगलाल, उम्र 75 वर्ष, पेशा से0 निवृत्त कर्मचारी
6. चैतराम पिता रंगलाल, उम्र 72 वर्ष, पेशा कृषि,

7. चिरोंजी पिता रंगलाल उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि, साकिन 5 से 8 सभी निवासी वार्ड क्रं. 17 पंवार मोहल्ला, पुरानी बोड़खी आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल
8. मिश्रीलाल पिता रंगलाल, उम्र 68 वर्ष, पेशा से. निवृत्त कर्मचारी, साकिन 5 से 8 सभी निवासी वार्ड क्रं. 17 पंवार मोहल्ला, पुरानी बोड़खी आमला, तह0 आमला जिला बैतूल,
9. फुलवंतीबाई पति गोधुजी, उम्र 74 वर्ष, पिता रंगलाल पेशा गृहकार्य साकिन धोसरा पो0 आवरिया तह0 आमला जिला बैतूल
10. तुलसीराम पिता पूरनलाल, उम्र 65 वर्ष, पेशा कृषि, साकिन पेटोल पम्प के सामने, हसलपुर तह0 आमला, जिला बैतूल
11. रमेश पिता पूरनलाल, उम्र 55 वर्ष, पेशा कृषि, साकिन वार्ड क्रं. 17 पंवार मोहल्ला पुरानी बोड़खी आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल
12. कलसियाबाई पिता पूरनलाल, उम्र 70 वर्ष, पति फत्तु चौधरी पेशा गृह कार्य साकिन नांदपुर तह आमला जिला बैतूल
13. तुलसियाबाई पिता पूरनलाल, उम्र 68 वर्ष, पति मोतीलाल पेशा गृह कार्य साकिन जुन्नारदेव तह0 जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
14. कान्तीबाई पिता पूरनलाल, उम्र 55 वर्ष, पति सूरतलाल, पेशा गृह कार्य, साकिन रेल्वे कॉलोनी, टी.आर.डी. घोड़ाडोंगरी तह0 घोड़ाडोंगरी जि0 बैतूल
15. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0)

----- प्रतिवादीगण

—:आदेश:—

(आज दिनांक— 07/10/16 को पारित)

1— इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश—39, नियम—1 व 2 का निराकरण किया जा रहा है।

2— वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क्रं. 1 के काका और वाद क्रं. 2 के काका ससुर तथा 3 के आज्ञा और वादी क्रमांक 4 से 9 के नाना के भाई को मिली खसरा नम्बर 180 का रकबा 0.639 स्थिति मौजा हसलपुर, तहसील आमला जिला बैतूल जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है—उत्तर में बापू का हिस्सा दक्षिण में रतनलाल की जमीन पूर्व में आम रास्ता पश्चिम में गौठान है उनके आपसी बटवारे जो मुंह जबानी हुये थे मिली थी। पूरनलाल ने अपने बटवारे की भूमि दिनांक

25/07/1978 को पंजीकृत बैनामें से रतनलाल को बेचकर कब्जा दे दिया था। उक्त जमीन राजस्व खातों में बाद में संदीप वल्द तीरथलाल वली माँ रंजना बाम्हने पत्नी तीरथलाल बाम्हने साकिन बोडखी आमला के नाम से दर्ज हुयी परन्तु नजर अंदाज से या किसी जाल साजी पूर्ण कृत्य से राजस्व खातों में भूमि का रकबा 0.639 के स्थान पर 1.639 हेक्टेयर कर दिया गया यह जानकारी वादीगणों को नकल निकालने पर लगी है।

3— वादीगण ने अपने आवेदन में बताया है कि राजस्व खातों में रतनलाल की खरीदी जमीन का नम्बर 180/2 कर दिया जो आगे चलकर संदीप के नाम से खसरे में देखने को मिला और उसमें दर्ज रकबे की चूक की जानकारी मिली जिसका नाजायज फायदा लेकर संदीप की वली बनकर उसक माँ रंजना बाम्हने ने दिनांक 31.10.1988 को अलग-अलग दो बेनामों से प्रतिवादी क्रं. 1 से खसरा नम्बर 180/2 में से रकबा 1.235 हेक्टेयर का बैनामा कर दिया और प्रतिवादी क्रं. 2 को खसरा नम्बर 180/2 में रकबा 0.202 हेक्टेयर का बैनामा कर दिया। बैनामा के बाद से प्रतिवादी 1 व 2 कभी कब्जे में नहीं आये न उनको मौके पर कोई कब्जा दिया गया था।

4— माह दिसम्बर 2015 के मध्य में प्रतिवादी 1 व 2 अन्य साथियों के साथ मौके पर कब्जा करने आये तब उनके द्वारा वादीगणों की जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश ककी जिन्हें रोकने पर प्रतिवादी 1 व 2 ने जबरन कब्जा करने की धमकी दी व जान से खतम करने की धमकी दी, पूछने पर प्रतिवादी 1 व 2 के द्वारा बताया गया कि उन्होंने संदीप की वली माँ रंजना से जमीन खरीदी है और कब्जा करेंगे इस पर वादीगणों ने जमीन से संबंधित कागजातों की नकले निकाली तब राजस्व खातों में हुयी हेराफेरी की जानकारी मिली और यह स्पष्ट हुआ कि रतनलाल ने खसरा नम्बर 180 में से 0.639 आरे भूमि खरीदी थी उसी भूमि के लिए संदीप को हक जायेगा और उससे अधिक की जमीन को उसकी माँ वली बनकर बिक्री करने को सक्षम नहीं थी। वादीगण को यह भय हो गया कि प्रतिवादी 1 व 2 वादीगणों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेंगे तो वादीगणों को क्षति पहुँचेगी। वादीगणों का वाद प्रथम दृष्टया सुदृढ है सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में और अपूर्णीय क्षति भी वादीगणों को होने की सम्भावना है।

5— वाद के निराकरण में समय लग सकता है सबब आवेदकगण/वादीगण यह आवेदन वाद के निराकरण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी प्रतिवादी 1 व 2 के विरुद्ध करने हेतु प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादीगणों के स्वत्व स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि मूल खसरा नम्बर 180 के रकबे 0.647 जिसके उत्तर में गेंदू

का हिस्सा, दक्षिण में पूरनलाल पूर्व में पंखा रोड पश्चिम में गौठान एवं इसी मूल खसरा नम्बर 180 के रकबा 0.440 जिसके उत्तर में रंगलाल दक्षिण में बापू पूर्व में गुरु बक्श अतुलकर को बेची जमीन तथा पश्चिम में गौठान है में स्वयं प्रतिवादी 1 व 2 हस्तक्षेप व कब्जा करने की कार्यवाही न करें और अन्य किसी के माध्यम से भी न करावे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत है।

6— प्रतिवादी कं. 1,2,11,3,4 की ओर से जवाब न देना व्यक्त किया एवं प्रतिवादी कं. 1,2,11 की ओर से मौखिक रूप से व्यक्त किया कि प्रकरण में विवादित भूमि को विक्रय व हस्तक्षेप न करें। के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी कं. 5 से 10,12,13,14,15 प्रकरण में एकपक्षीय हो चुके हैं।

7— अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के आवेदन में निम्नलिखित 3 बिन्दु मुख्य रूप से विचारणीय हैं:-

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या यदि वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान न की गई तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी?

प्रथम दृष्टया मामला

8— वादी ने प्रतिवादी कं. 1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि वाद पत्रक की कंडिका 10 में वर्णित भूमि को स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से वादीगण के कब्जे में प्रकरण के निराकरण तक हस्तक्षेप न करें। उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना होगा कि क्या वादीगण का विवादित भूमि पर हित व कब्जा है।

9— वादी ने अपने आवेदन में बताया है कि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि मूल खसरा नं. 180 रकबा 0.647 जिसके उत्तर में गेंदू का हिस्सा दक्षिण में पूरनलाल पूर्व में पंखा रोड पश्चिम में गौठाना एवं उसी मूल खसरा नं. 180 के रकबा 0.440 जिसके उत्तर में रंगलाल दक्षिण में बापू पूर्व में गुरुबक्श अतुलकर को बेच जमीन तथा पश्चिम में गौठाना है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त संबंध में कोई जवाब पेश न करने के कारण यही माना जायेगा कि वादीगण का विवादित भूमि पर हित है।

10— वादी ने अपने समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25/07/78 जिसमें विक्रेता रतनलाल एवं क्रेता पूरनलाल है जिसमें खसरा नं. 180 में से रकबा 0.639 हे० भूमि विक्रय की गई है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 1988 में विक्रेता संदीप कुमार तिरथलाल ना०बा० वली माँ रंजना पति तिरथलाल बामने के द्वारा क्रेता मुकेश खंडेलवाल के द्वारा खसरा नं. 180/2 रकबा 1.639 हे० भूमि विक्रय की गई है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31/10/88 जिसमें विक्रेता संदीप कुमार तिरथलाल ना०बा० वली माँ रंजना पति तिरथलाल बामने क्रेता महेन्द्र कुमार के द्वारा खसरा नं. 180/2 में रकबा 0.202 हे० भूमि कय की गई है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 में खसरा नं. 180 रकबा 6.35 हे० भूमि बाबू उर्फ काशीराम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा पांचसाला वर्ष 1977-78 से 1981-82 में खसरा नं 180 रकबा 6.35/3.570 बाबू, गेंदू, रंगलाल, पूरनलाल वल्द काशीराम, निवासी बोडखी भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है।

11— खसरा वर्ष 1988-89 में 180/1 रकबा 0.729 भजनलाल, रामरतन वल्द बातू, मया, सया पिता बापू, दिलीप वल्द गेंदू, सोमती बेवा गेंदू, सुहागा, सुग्गा पिता गेंदू, रंगलाल, पूरनलाल वल्द काशीनाथ नि० बोडखी भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है। खसरा नं. 180/2 रकबा 0.202 संदीप कुमार ना०बा० वली माँ रंजना बाम्हणे पति तिरथलाल का नाम कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा 180/3 रकबा 1.235 मुकेश कुमार पिता विजय कुमार खंडेलवाल नि० बैततूल कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा नं. 180/4 रकबा 0.202 महेन्द्र कुमार वल्द कालूराम मालवीय नि० बैतूल कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है। खसरा वर्ष 1987-88 में खसरा नं. 180/5 रकबा 0.202 गुरुबक्श वल्द रावजी नि० आमला कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा वर्ष 1990-91 में खसरा नं. 180 रकबा 0.729 भजनलाल रामरतन वल्द बापू रामरति मया सया पिता बापू संदीप वल्द गेंदे सोमती बेवा गेंदू, सुषमा सुगा पिता गेंदू, रंगलाल पूरनलाल वल्द काशीनाथ का नाम कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा वर्ष 1990-91 खसरा नं. 180/2 रकबा 0.202 संदीप कुमार ना०बा० तिरथ वली माँ रंजना बाम्हणे पति तिरथ का नाम कब्जेदार एवं भूमि स्वामी करू पमे उल्लेख है। खसरा 180/3 रकबा 1.235 मुकेश कुमार पिता विजयच कुमार खंडेलवाल नि० बैततूल कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। खसरा नं. 180/4 रकबा 0.202 महेन्द्र कुमार वल्द कालूराम मालवीय नि० बैतूल कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है। खसरा वर्ष 1987-88 में खसरा नं. 180/5 रकबा 0.202 गुरुबक्श वल्द रावजी नि० आमला कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।

12— किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2014-15 में खसरा नं. 180@2 रकबा 0.359 भजन, रामरतन वल्द बापू, रामरती, गया, सया, पिता बापू, दिलीप वल्द गेंदू, सुग्गा, सुहागा पिता गेंदू, सोमती बेवा गेंदू, दयाराम कब्जेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। संशोधन पंजी 1979 में खसरा नं. 180 में से 0.639 रतनलाल के द्वारा पूरनलाल से 2000/-रूपये में रजिस्ट्री सुदा बैनामा पर खरीदने का उल्लेख है। उसी प्रकार संशोधन पंजी वर्ष 1981 में खसरा नं. 180 में से 0.639 रतनलाल ने पूरनलाल से खरीदी हक का उल्लेख है। संशोधन पंजी 1983 खसरा नं. 180 में से 0.639 खरीदी हक में पूरनलाल वल्द काशीनाथ से रतनलाल के द्वारा 2000/-रूपये में खरीदने का उल्लेख है। रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 08/03/1989 खसरा नं. 180 रकबा 0.02 हे0 भूमि विक्रेता दिलीप क्रेता गुरुबक्श के द्वारा खरीदी गई का उल्लेख है।

13— साथ ही आवेदन में वादीगण की ओर से कंडिका 5 में जो बताया गया है कि खसरा नं. 180 का रकबा 0.639 पूरनलाल ने अपने बटवारा दिनांक 25/07/1978 को पंजीकृत बैनामा से रतनलाल को बेचकर कब्जा दिया था। बाद में उक्त विवादित भूमि पर संदीप वल्द तिरथलाल वली रंजना बामने पत्नी तिरथलाल नि0 बोड़खी आमला के नाम से दर्ज हुयी। विवादित भूमि रकबा 0.639 के स्थान पर 1.639 हे0 अधिक रकबा दर्ज हुयी। रतनलाल की खरीदी जमीन का खसरा नं. 180/2 कर दिया जानकारी मिली जिसका नाजायज फायदा लेकर संदीप की वली माँ बनकर उसकी माँ रंजना ने दिनांक 31/10/1988 को अलग-अलग दो बैनामों प्रतिवादी क्रं. 1 को खसरा नं. 180/2 में से रकबा 1.235 हे0 का बैनामा कर दिया और प्रतिवादी क्रं. 2 को खसरा नं. 180/2 में रकबा 0.202 हे0 का बैनामा कर दिया बैनामा के बाद से प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 कभी कब्जे में नहीं आए न उनको मौके पर कोई कब्जा दिया गया। उक्त तथ्य के संबंध में कोई जवाब भी इस आवेदन के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से नहीं दिया गया है। साथ ही प्रतिवादी क्रं. 1, 2, 11 की ओर से उक्त विवादित भूमि पर विक्रय व हस्तक्षेप न करें, के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा दिये जाने पर आपत्ति न होना व्यक्त किया है जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त विवादित भूमि पर वादीगण कब्जे में है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में निराकृत किया जाता है।

सुविधा का संतूलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदू

14— विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि पर वादीगण का हित व कब्जा है यदि विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के द्वारा विक्रय कर दिया जाता है तो विवादित भूमि के संबंध में वादीगण को वंचित होने से

इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही वाद बाहुलता भी बढ़ेगी। और वादीगण को प्रतिवादीगण की अपेक्षा अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति धन से नहीं की जा सकती।

15— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिंदू भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निराकृत किया गया है। अतः प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर प्रकरण के निराकरण तक स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से हस्तक्षेप न करें। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)
सिविल न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म.प्र.

(धनकुमार कुडोपा)
सिविल न्यायाधीश वर्ग-2
आमला जिला बैतूल म.प्र.